




कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
उत्तराखण्ड, देहरादून



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

अभियन्त्रण विभागों के खण्डों की कार्य प्रणाली पर वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन
2020-21



उत्तराखण्ड सरकार

प्रस्तावना

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के स्थायी आदेशों की पुस्तिका (लेखा एवं हकदारी) खण्ड-1 के प्रस्तर 8.54 के प्रावधानों के अन्तर्गत इस कार्यालय द्वारा प्रत्येक वर्ष अभियन्त्रण विभागों के खण्डों की कार्य प्रणाली की वार्षिक समीक्षा प्रकाशित की जाती है। इस समीक्षा का उद्देश्य उत्तराखण्ड राज्य के लोक निर्माण, सिंचाई, लघु सिंचाई एवं ग्रामीण निर्माण विभाग के खण्डों के लेखों के रख-रखाव में परिलक्षित महत्वपूर्ण एवं सामान्य प्रकृति की अनियमितताओं को केन्द्रीयभूत करना है। इसके अतिरिक्त इसमें लेखा परीक्षा कार्यालय द्वारा केन्द्रीय लेखा परीक्षा में पाई गई सामान्य प्रकार की अनियमितताएं, उत्तर न दिये गये लेखा परीक्षा टिप्पणियों और निरीक्षण प्रतिवेदनों के ब्यौरे तथा लोक निर्माण/सिंचाई/लघु सिंचाई एवं ग्रामीण निर्माण विभाग के खण्डों के स्थानीय निरीक्षण में पाई गई महत्वपूर्ण अनियमितताओं को भी सम्मिलित किया गया है। लेखा कर्मचारियों द्वारा मासिक लेखे तैयार करने में आवश्यक लेखा नियमों तथा प्रणालियों की पर्याप्त जानकारी के अभाव में लेखा या तो पूर्ण रूप से तैयार नहीं किये जाते हैं या तैयार भी किये जाते हैं तो उनकी गुणवत्ता स्तरीय नहीं होती है। लोक निर्माण, सिंचाई, लघु सिंचाई एवं ग्रामीण निर्माण विभाग के खण्डों द्वारा लेखा संधारण में अभी भी सुधार की आवश्यकता हैं।

मैं आशा करता हूँ कि यह प्रतिवेदन उत्तराखण्ड राज्य के लोक निर्माण, सिंचाई, लघु-सिंचाई एवं ग्रामीण निर्माण विभाग के लेखा अधिकारियों/कर्मचारियों को अनियमितताओं को सुधारने तथा नियमानुसार कार्य सम्पादन करने की दृष्टि से मार्ग दर्शन करने में उपयोगी सिद्ध होगा।



(प्रवीन्द्र यादव)

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),

उत्तराखण्ड

दिनांक: 10/12/2021

स्थान: देहरादून।

महत्वपूर्ण बिन्दु

1. खण्डों द्वारा मासिक लेखे विलम्ब से कार्यालय महालेखाकार को प्रस्तुत किये गये (प्रस्तर-1)।
2. खण्डों द्वारा वर्ष 2020-21 के प्रपत्र-51 कार्यालय महालेखाकार को विलम्ब से प्रेषित किये गए (प्रस्तर-2)।
3. सिंचाई विभाग द्वारा जमा शीर्ष में प्रतिकूल अवशेष लम्बे समय से चले आ रहे हैं। प्रतिकूल जमा अवशेष के अविलम्ब निस्तारण हेतु शासन स्तर से कड़े निर्देश जारी करने की आवश्यकता है (प्रस्तर-3)।
4. नकद परिशोधन उचन्त लेखा (सी0एस0एस0ए0) एवं सामग्री क्रय परिशोधन उचन्त लेखा (एम0पी0एस0एस0ए0) के अन्तर्गत विगत कई वर्षों से राशियां लम्बित हैं। धनराशियों के त्वरित समायोजन हेतु शासन स्तर से कड़े निर्देश जारी करने की आवश्यकता है (प्रस्तर-4, 5)
5. लोक निर्माण प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत लम्बित धनराशियों के निस्तारण न होने से गबन/कपट की सम्भावना रहती है (प्रस्तर-6)।
6. विगत वर्षों में लेखे से सम्बन्धित अनेकों अनियमितताओं को अवगत कराने के बावजूद भी उक्त अनियमितताएं इस वर्ष भी लेखे में पायी गयी है (प्रस्तर-7)।
7. प्रकीर्ण अग्रिम से सम्बन्धित अवशेष जो विगत अनेक वर्षों से लम्बित चले आ रहे हैं, के निस्तारण हेतु त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही की जानी अपेक्षित है (प्रस्तर-8)।
8. लेखा परीक्षा कार्यालय के निरीक्षण दलों द्वारा जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रथम उत्तर निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी नहीं प्राप्त हुए। निरीक्षण के दौरान पायी गयी महत्वपूर्ण अनियमितताएं तथा केन्द्रीय लेखा परीक्षा के दौरान मासिक लेखाओं में पायी गयी अन्य अनियमिततायें (द्वितीय भाग प्रस्तर-1 एवं 2)।

संस्तुतियाँ

महालेखाकार कार्यालय द्वारा तैयार किये जाने वाले राज्य के वित्त एवं विनियोजन लेखों में अभियन्त्रण खण्डों के व्यय एवं प्राप्ति के यथार्थ एवं सही आंकड़े सम्मिलित होने चाहिए। इस दृष्टि से खण्डों द्वारा प्रेषित किये जाने वाले संकलित मासिक लेखों की समीक्षा की जाती है और परिणामों से सम्बन्धित खण्डों को समय-समय पर अवगत कराया जाता है। इसी क्रम में खण्डों के लेखों में सुधार एवं गुणवत्ता में सुधार की दृष्टि से राज्य शासन/विभागाध्यक्ष द्वारा खण्डीय अधिकारियों को निम्नलिखित अनुदेश अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु जारी किये जाने चाहिए:—

1. मासिक लेखे कार्यालय महालेखाकार को अनिवार्य रूप से निर्धारित समयावधि (जिस माह का लेखा है उसके अगले माह की 07 से 10 तारीख के मध्य) के अंतर्गत प्रस्तुत करें।
2. प्रपत्र-51 मासिक लेखे के साथ प्रस्तुत करें।
3. लोक निर्माण प्रेषण शीर्षों में लम्बित क्रेडिट एवं डेबिट धनराशियों का निस्तारण संबंधित कोषागारों से मिलान कर सुनिश्चित करें।
4. विविध लोक निर्माण अग्रिम (प्रकीर्ण अग्रिम) में लम्बित धनराशियों का निस्तारण सुनिश्चित करें तथा वित्तीय वर्ष के अन्त में कोई भी अग्रिम असमायोजित नहीं रहना चाहिए।
5. नकद परिशोधन लेखों के अन्तर्गत लम्बित शेषों का निस्तारण सुनिश्चित करायें।
6. सामग्री क्रय परिशोधन लेखों के अन्तर्गत अनिस्तारित शेषों का निस्तारण सुनिश्चित करें।
7. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा जारी किए गये निरीक्षण प्रतिवेदनों का उत्तर, जारी करने की तिथि से 6 माह के भीतर प्राप्त कराना सुनिश्चित करें।

अभियन्त्रण विभागों के खण्डों की कार्य प्रणाली पर वर्ष 2020-21 की वार्षिक समीक्षा आख्या परिचयात्मक

यह समीक्षा उत्तराखण्ड राज्य के लोक निर्माण, सिंचाई, लघु सिंचाई एवं ग्रामीण निर्माण विभाग के खण्डों की कार्य प्रणाली का मूल्यांकन है। विभिन्न खण्डों के मासिक लेखों में हो रही निरन्तर व सामान्य प्रकृति की अनियमितताओं को इस समीक्षा आख्या में शामिल किया गया है। यहाँ यह भी उल्लेख किया जाता है कि इस समीक्षा आख्या में जो भी अनियमितताएं, कमियाँ एवं त्रुटियाँ शामिल की गयी हैं, वे विस्तृत नहीं बल्कि उदाहरण के रूप में हैं।

दिनांक 31-03-2021 को अभियन्त्रण विभागों के खण्डों की कुल संख्या-199 थी। विभाग वार खण्डों की संख्या निम्न है:-

क्रम संख्या	विभाग	खण्डों की संख्या
1.	लोक निर्माण	93
2.	सिंचाई	72
3.	लघु सिंचाई	13
4.	ग्रामीण निर्माण विभाग	21
योग		199

संरचना

समीक्षा आख्या दो भागों में निम्नवत् तैयार की गयी है:-

प्रथम-भाग: इस भाग में खण्डों से प्राप्त हुये मासिक लेखों की प्रारम्भिक जाँच एवं लेखों के संकलन के दौरान पायी गयी कमियों/अनियमितताओं को सम्मिलित किया गया है।

द्वितीय-भाग: इस भाग में लेखा परीक्षा कार्यालय के केन्द्रीय लेखा परीक्षा एवं स्थानीय निरीक्षण के दौरान खण्डों के प्रारम्भिक लेखों के रख-रखाव में पायी गयी वित्तीय अनियमितताओं एवं त्रुटियों को शामिल किया गया है।

प्रथम-भाग

प्रस्तर 1: मासिक लेखों का विलम्ब से भेजा जाना:-

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के प्रस्तर-758 के प्रावधानों के अन्तर्गत खण्डों के संकलित मासिक लेखे सभी प्रपत्रों सहित (केवल माह मार्च के लेखे को छोड़कर) अगले माह 7 से 10 तारीख के मध्य एवं मार्च माह के मासिक लेखे 15 अप्रैल तक महालेखाकार कार्यालय में प्राप्त हो जाने चाहिए। यह प्रकाश में आया है कि कतिपय खण्डीय अधिकारियों द्वारा संकलित मासिक लेखे महालेखाकार कार्यालय में समय से प्राप्त कराये जाने के सम्बन्ध में उपरोक्त प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है। विगत पांच वर्षों में विलम्ब से प्राप्त होने वाले मासिक लेखों का सार निम्न तालिका में दिया गया है :-

तालिका-1

वर्ष	सिंचाई विभाग	लघु सिंचाई विभाग	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण निर्माण विभाग	पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड			विलम्ब से प्राप्त लेखों का योग	कुल खण्ड	विलम्ब से प्राप्त लेखों का प्रतिशत
					सिंचाई (खण्ड)	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण निर्माण विभाग			
2020-21	262	73	473	109	68	49	07	1041	199	43.59
2019-20	241	61	373	80	69	53	09	886	199	37.10
2018-19	141	29	268	43	64	62	16	623	198	26.22
2017-18	105	22	232	23	42	53	13	490	198	20.62
2016-17	130	28	234	47	64	36	15	554	199	23.19

विलम्ब से प्राप्त होने वाले मासिक लेखे वर्ष 2016-17 में लगभग 23 प्रतिशत थे। लेकिन वित्तीय वर्ष 2020-21 में भी 43.59% मासिक लेखे विलम्ब से प्राप्त हुए हैं, जिसमें अनिवार्य रूप से सुधार की आवश्यकता है।

वर्ष 2020-21 में विलम्ब से प्राप्त हुये मासिक लेखों की विभागवार एवं माहवार स्थिति अनुलग्नक-1(अ) एवं अनुलग्नक-1(ब) में दी गई है।

शासन द्वारा सम्बन्धित विभागों को निर्धारित दिनांक तक मासिक लेखों का प्रस्तुतीकरण करने की प्रक्रिया को त्वरित करने की आवश्यकता है। इस सन्दर्भ में शासन स्तर से कृत कार्यवाही से कार्यालय महालेखाकार को अवगत करायें।

नोट: कोषागार द्वारा संकलित मासिक लेखे Interface के द्वारा इस कार्यालय को ससमय प्राप्त हो रहे हैं।

प्रस्तर-2: मासिक लेखों के साथ प्रपत्र-51 न भेजा जाना अथवा विलम्ब से भेजे जाने के कारण ब्रॉडशीट के रख-रखाव में व्यवधान उत्पन्न होना:-

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के प्रस्तर 758 के प्रावधानों के अन्तर्गत खण्डीय अधिकारी प्रपत्र-51 शिड्यूल ऑफ सेटलमेंट विद् ट्रेजरीज, कोषाधिकारी द्वारा जारी किये गए प्रमाण पत्र एवं संकलित ट्रेजरी रसीदों सहित, मासिक लेखे के साथ महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित करेंगे। खण्डों से प्राप्त उक्त प्रपत्र के आधार पर मुख्य लेखाशीर्ष-8782 की ब्राडशीट को तैयार किए जाने का कार्य प्रधान महालेखाकार कार्यालय द्वारा किया जाता है।

अप्रैल 2019 से राज्य मे IFMS प्रणाली लागू होने के उपरान्त सचिव, वित्त अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0-306/XXVI(6)/एक/2018/2019 दिनांक 05 सितम्बर 2019 के बिन्दु (क) 6 के अनुसार - लोक निर्माण प्रेषण से संबंधित लेखाशीर्ष 8782-00-102 को दिनांक 01.09.2019 से समाप्त कर दिया गया है। जिस कारण खण्डों का मुख्य लेखाशीर्ष 8782 का ब्रॉडशीट अद्यतन नहीं किया जा सका।

प्रस्तर-3: सिंचाई विभाग जमा में प्रतिकूल शेष:-

लेखाशीर्ष 8443-सिविल जमा, 108-लोक निर्माण जमा के अन्तर्गत विभिन्न खण्डों में कुल रू. 363.19 का प्रतिकूल अवशेष था, इसका कारण ऋणात्मक अवशेष वाले

खण्डों के विघटन के फलस्वरूप धनात्मक अवशेष वाले खण्डों में समायोजित किया जाना है, जबकि विभाजन से पूर्व से अवशेष अभी भी बंटवारे के अधीन हैं, जिनका विवरण अनुलग्नक-2 में दिया गया है। उपरोक्त लेखाशीर्ष के अन्तर्गत प्रतिकूल शेष यह इंगित करता है कि खण्डों द्वारा बाह्य एजेंसियों के कार्य सम्पादन हेतु जमा की गयी धनराशि से अधिक व्यय कर दिया गया है जो कि संहिता एवं नियम पुस्तकों में उल्लिखित प्रावधानों के प्रतिकूल है। प्रतिकूल शेष इस बात को भी इंगित करता है कि शासन को देय धनराशि की वसूली बकाया है। शासन द्वारा सम्बन्धित विभागों के प्रतिकूल शेष के निस्तारण हेतु नीति निर्धारित करने की आवश्यकता है।

प्रस्तर-4: लेखाशीर्ष-8658 उचन्त लेखे-107 नकद परिशोधन उचन्त लेखे के अन्तर्गत दीर्घ अवधि से रु. 160.06 लाख के लम्बित अवशेष:-

अभियन्त्रण विभागों में शासनादेश संख्या-ए 2-1240/दस-95-17(6)/83 दिनांक 23-05-1995 द्वारा भण्डारों एवं सामग्रियों के क्रय हेतु दिनांक 01-07-1995 से 'कैश एण्ड कैरी' पद्धति लागू की गई थी। दिनांक 01-07-1995 से पूर्व अभियन्त्रण विभागों के विभिन्न खण्डों द्वारा समय-समय पर नकद परिशोधन उचन्त लेखा (सी0एस0एस0ए0) में धनराशि पुस्तांकित की जाती रही है। नियमानुसार प्रतिवादी खण्ड को नकद परिशोधन उचन्त लेखा में पुस्तांकित की गई धनराशि को मूल खण्ड से लेखा प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर निस्तारित किया जाना चाहिये था, जिससे कि उक्त शेष में कोई अवशेष अनिस्तारित न रहे। यह देखने में आया है कि कुछ खण्डों द्वारा उक्त शेष में विभिन्न खण्डों द्वारा नकद परिशोधन उचन्त लेखे में पुस्तांकित की गई धनराशि का निस्तारण न किये जाने के फलस्वरूप अभी भी रु. 160.06 लाख के अवशेष विभिन्न खण्डों के विरुद्ध राज्य विभाजन से पूर्व से चले आ रहे हैं। ऐसे अवशेषों का उल्लेख पूर्व के वर्षों में जारी वार्षिक समीक्षा आख्याओं में इस आशय से किया गया था कि शासन स्तर पर अवशेषों के निस्तारण हेतु प्रभावी कदम उठाये जायेंगे, परन्तु अवशेषों का लम्बित रहना यह दर्शाता है कि शासन स्तर पर प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी। जिन खण्डों के विरुद्ध अवशेष हैं उनका विवरण अनुलग्नक-3 में दिया गया है।

अतः शासन से अपेक्षा की जाती है कि लेखाशीर्ष 8658-उचन्त लेखे-107 नकद परिशोधन उचन्त लेखे में लम्बित धनराशि जो राज्य विभाजन से पूर्व से चली आ रही है, के निस्तारण के सम्बन्ध में नीति-निर्धारण कर निस्तारण हेतु प्रभावी कदम उठाये जायें।

प्रस्तर-5: सामग्री क्रय परिशोधन उचन्त लेखे के अन्तर्गत दीर्घ अवधि से रू. 262.99 लाख अनिस्तारित अवशेष:-

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के प्रस्तर-763 के प्रावधानों के अनुसार खण्डों द्वारा उचन्त लेखाशीर्ष के अन्तर्गत पुस्तांकित की गई धनराशि की वसूली अथवा समायोजन, शीघ्र किया जाना चाहिए, जिसके लिए विशेष प्रयास किये जाने अपेक्षित हैं। ऐसा प्रकाश में आया है कि कुछ खण्डों द्वारा उचन्त लेखाशीर्ष के अन्तर्गत पुस्तांकित की गई धनराशि के निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में उपरोक्त प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। सामग्री क्रय परिशोधन उचन्त लेखा (एम0पी0एस0एस0ए0) शीर्ष के अन्तर्गत जिन खण्डों के विरुद्ध रू. 262.99 लाख की राशि राज्य विभाजन से पूर्व से चली आ रही है अथवा असमायोजित पड़ी हुई है उनका खण्डवार विवरण अनुलग्नक-4 में दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि उक्त अवशेषों का विवरण इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनों में किया गया था परन्तु शासन स्तर पर अवशेषों के निस्तारण हेतु कोई प्रभावी कार्यवाही की गयी प्रतीत नहीं होती है।

राज्य सरकार से अपेक्षा की जाती है कि खण्डीय अधिकारियों को वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के प्रस्तर-763 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्दिष्ट किया जाये तथा आवश्यकता अनुरूप निस्तारण की समुचित प्रणाली विकसित की जाये। इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से महालेखाकार कार्यालय को अवगत कराया जाए।

प्रस्तर-6: लोक निर्माण प्रेषण शीर्ष के अन्तर्गत लम्बित धनराशियों का समाधान न किया जाना:-

लोक निर्माण प्रेषण शीर्ष के अन्तर्गत लम्बित धनराशियों के समाधान हेतु, वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 6 के प्रस्तर 742 एवं 743 तथा वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 (भाग-2) के प्रस्तर 638(ख) तथा प्रस्तर 648 के प्रावधानों के अन्तर्गत कोषागारों द्वारा खण्डीय अधिकारियों को प्रत्येक लेखा माह अनुगामी माह की चार तारीख तक, समेकित कोषागार रसीद (सी0टी0आर0) तथा समेकित कोषागार निर्गमन (सी0टी0आई0) उपलब्ध कराया जाना चाहिये तथा वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 (भाग 2) के प्रस्तर 650 के प्रावधानों के अनुरूप कोषाधिकारी द्वारा खण्डीय अधिकारियों से उनके समस्त प्रेषणों की मासिक समाधान की व्यवस्था की जानी चाहिए।

इस कार्यालय के अभिलेखानुसार दिनांक 31-03-2019 को प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत अभियन्त्रण सेवाओं के विभिन्न खण्डों के अनिस्तारित नकद प्रेषण का राशिवार विवरण अनुलग्नक-5 में दिया गया है जबकि चैकों से सम्बन्धित अनिस्तारित खण्डवार अवशेष धनराशियां अनुलग्नक-6 में दर्शायी गयी हैं। कोषागारों द्वारा सी0टी0आर0 एवं सी0टी0आई0 के समुचित रख-रखाव के अभाव में उक्त धनराशियां अभी तक अनिस्तारित चली आ रही हैं।

उक्त अनिस्तारित राशियों का उल्लेख पूर्व के वर्षों में जारी समीक्षा प्रतिवेदनों में भी किया गया था, जिनके निस्तारण हेतु शासन व विभागाध्यक्षों के स्तर पर प्रभावी कार्यवाही की गयी प्रतीत नहीं होती।

यह उल्लेख करना अति महत्वपूर्ण है कि लोक निर्माण प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत लम्बित धनराशियों के निस्तारण न होने से गबन की सम्भावनाएं बनी रहती हैं। अतः शासन के स्तर पर प्रत्येक माह की 4 तारीख तक समेकित कोषागार रसीद (सी0टी0आर0) तथा समेकित कोषागार निर्गमन (सी0टी0आई0) खण्डों के खण्डीय अधिकारियों को प्रेषित करने हेतु सभी कोषाधिकारियों को निर्देश जारी करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त लोक निर्माण एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के खण्डीय अधिकारियों को भी उपरोक्त लेखाशीर्षों में अनिस्तारित अवशेषों के निस्तारण के लिये

दिशा-निर्देश किये जाने की आवश्यकता है। दीर्घ अवधि से लम्बित अवशेषों के निस्तारण हेतु शासन द्वारा समुचित नीति निर्धारित की जानी अपेक्षित है।

वर्तमान में अप्रैल 2019 से राज्य में IFMS प्रणाली लागू होने के उपरान्त सचिव, वित्त अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं०-306/XXVI(6)/एक/2018/2019 दिनांक 05 सितम्बर 2019 के बिन्दु (क) 6 के अनुसार – लोक निर्माण प्रेषण से संबंधित लेखाशीर्ष 8782-00-102 को दिनांक 01.09.2019 से समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार संबंधित लेखा संहिता “वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग VI” में भी संशोधन अपेक्षित है।

प्रस्तर-7: मासिक लेखों की प्रारम्भिक जांच के दौरान पायी गयी सामान्य त्रुटियाँ:-

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के प्रस्तर 758 के प्रावधानों के अन्तर्गत इस को भेजे गये मासिक लेखे सभी प्रकार से पूर्ण व सही होने चाहिए। यह देखा गया कि खण्डीय अधिकारियों द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किये गये मासिक लेखों में अनेकों प्रकार की विसंगतियाँ/कमियाँ पायी गयी जिनका उल्लेख नीचे किया गया है:-

- i. प्रपत्र-80 की प्राप्ति एवं व्यय पक्षों की राशियों का मासिक लेखा के साथ संलग्न विभिन्न प्रपत्र जैसे-प्रपत्र-74, प्रपत्र-70, प्रपत्र-79 आदि की राशियों से मेल न होना।
- ii. प्रपत्र-80 में कैश बैलेन्स का प्रारम्भिक शेष पिछले माह के अन्तिम शेष से भिन्न होना, जिससे यह स्पष्ट होता है कि आहरण-वितरण अधिकारियों द्वारा नकदी के सत्यापन में समुचित सावधानी नहीं बरती गई। आई.एफ.एम.एस. से जेनेरेटेड फार्म 80 में रोकड़ के आरंभिक एवं अंत शेष के कॉलम नहीं बनाये गये हैं।
- iii. प्रपत्र-80 में प्राप्ति एवं व्यय पक्षों के योग में अन्तर पाया गया।
- iv. कतिपय लेखों के साथ फार्म (46A) प्राप्तियों का लेखा शीर्ष विवरण संलग्न नहीं किया गया।
- v. चालान लिस्ट के साथ चालान की प्रति प्रेषित नहीं की गई।
- vi. मासिक लेखों के साथ चालान द्वारा सीधे कोषागार में जमा किए गए राजस्व का विवरण संलग्न न होने के कारण इस कार्यालय के स्तर पर प्रेषण की राशि की

सत्यता सुनिश्चित नहीं की जा सकी। अतः राजस्व प्रेषण का विवरण व चालान की प्रतियाँ संलग्न किया जाना अपेक्षित हैं।

- vii. कुछ प्रकरणों में व्यय की प्रकृति भारित/दत्तमत को न दर्शाया जाने के कारण त्रुटिपूर्ण लेखांकन की सम्भावना बनी रहती है।
- viii. अधिकांश प्रकरणों में प्रपत्र-64 (निर्माण खर्च का शिड्यूल) के प्रगामी व्यय एवं आबंटित बजट के स्तम्भों को न भरने के कारण भुगतान आधिक्य की सम्भावना बनी रहती है।
- ix. वी0एल0सी0 द्वारा आबंटित कम्प्यूटर कोड की सील को मासिक लेखे पर न लगाये जाने से खण्डों की पहचान में असुविधा होती है।
- x. संशोधन के लिये तैयार की गयी अंतरण प्रविष्टि पर संख्या व माह का न दर्शाया जाना निर्धारित नियमों की अवहेलना है, जिससे लेखे की सत्यता संदिग्ध रहती है।
- xi. लेखाशीर्षों के अन्तर्गत 15 अंकीय वर्गीकरण सही रूप से अंकित न होने के कारण प्रायः वर्गीकरण की त्रुटियाँ प्रदर्शित होती हैं। अतः 15 अंकीय वर्गीकरण अनिवार्यतः अंकित किया जाना अपेक्षित है।
- xii. मासिक लेखे के साथ प्रपत्र-67ए (शिड्यूल ऑफ एम0पी0एस0एस0ए0) का संलग्न न किये जाने से स्टॉक उचन्त का सही आंकलन नहीं हो पाता है।
- xiii. मासिक लेखे के साथ प्रपत्र-76ए (शिड्यूल ऑफ सी0एस0एस0ए0) का संलग्न नहीं किया गया जिससे लम्बित अवशेषों का सही आंकलन करने में असुविधा हुई।
- xiv. खण्डों द्वारा प्रायः बजट आबंटन की प्रत्याशा में व्यय कर दिया जाता है। बड़ी मात्रा में धनराशियों के व्यवर्तन के परिणामस्वरूप लेखांकन प्रक्रिया के मूल उद्देश्य हतोत्साहित होता है।

इस कार्यालय द्वारा उपरोक्त अनियमितताओं/कमियों एवं विलम्बित प्रेषणों को संबन्धित खण्डों की जानकारी में समय-समय पर लाया गया है। शासन से अनुरोध है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में खण्डीय अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित

करें तथा शासन स्तर से शुरू की गई सुधारात्मक पहलों से कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक0) को अवगत करायें।

प्रस्तर-8: प्रकीर्ण अग्रिम मद में धनराशियाँ लम्बे समय से अनिस्तारित रहना:-

वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-6 के प्रस्तर-578 के अन्तर्गत प्रकीर्ण अग्रिम मद में वे ही धनराशियां दर्ज की जानी चाहिए जो उधार बिक्री, निक्षेप में प्राप्त धनराशि से अधिक व्यय एवं हानियाँ, छटनी अथवा त्रुटियों के कारण उत्पन्न हुयी हों तथा उनका निस्तारण समुचित अन्तिम शीर्ष को अन्तरण अथवा वसूली द्वारा यथाशीघ्र किया जाना चाहिए। वसूली न होने योग्य राशियों को बट्टे खाते में डालने के प्रयास किये जाने चाहिए ।

विभिन्न निर्माण कार्य खण्डों के लेखाओं के अवलोकन पर पाया गया कि अभियन्त्रण विभागों के पुस्तकों में प्रकीर्ण अग्रिम मद में अत्यधिक धनराशियाँ लम्बे समय से अनिस्तारित चली आ रही हैं, जिन खण्डों के विरुद्ध अनिस्तारित अवशेष लम्बित हैं उनका विवरण अनुलग्नक-7 में दर्शाया गया है। अतः उक्त लम्बित अवशेषों के निस्तारण हेतु शासन एवं विभागीय स्तर पर प्रभावी कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

द्वितीय-भाग

प्रस्तर-1: निरीक्षण प्रतिवेदनों का उत्तर निर्धारित समय तक न दिया जाना:-

लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा जारी किये गये स्थानीय निरीक्षण प्रतिवेदनों के सभी प्रस्तरों का प्रथम उत्तर/अनुपालन आख्या लेखा परीक्षा कार्यालय में प्रतिवेदनों के जारी करने की तिथि से छह सप्ताह के भीतर प्राप्त हो जाना चाहिए।

यह देखने में आया है कि वर्ष 2020-21 में अनेक खण्डों द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रथम उत्तर अनेक माह व्यतीत हो जाने पर भी लेखा परीक्षा कार्यालय को नहीं भेजे गए हैं। इस प्रकार प्रतिवेदनों का अनुत्तरित रहना निरीक्षण के उद्देश्य को समाप्त कर देता है।

अभियंत्रण खण्डों की सूची, जिन्होंने निरीक्षण प्रतिवेदनों का प्रथम उत्तर निर्धारित समायान्तर्गत नहीं दिया है, अनुलग्नक-8 में दिया गया है।

प्रस्तर-2: स्थानीय निरीक्षण के दौरान पाई गयी महत्वपूर्ण अनियमितताएँ:-

अभियन्त्रण विभागों के स्थानीय निरीक्षण के दौरान अनेक प्रकार की अनियमितताएँ पाई गयीं। महत्वपूर्ण अनियमितताओं की सूची अनुलग्नक-9 में दी गयी है। निर्माण कार्य विभागों के मासिक लेखाओं के निरीक्षण में पाए गये भुगतान आधिक्य व अन्य अनियमितताओं का विवरण अनुलग्नक-10 में दिया गया है।

इन सभी प्रकरणों में वित्तीय हितों की सुरक्षा हेतु शासन द्वारा सुधारात्मक कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।



वरिष्ठ उपमहालेखाकार/प्रशासन एवं लेखा

अनुलग्नक-1(अ)
(प्रस्तर-1 के सन्दर्भ में)

विभाग एवं माहवार मासिक लेखे की स्थिति जिनके लेखे वर्ष 2020-21 में विलम्ब से प्राप्त हुए:-

माह	सिंचाई विभाग	लघु सिंचाई खण्ड	लोक निर्माण	ग्रामीण निर्माण विभाग	योग
अप्रैल-2020	46	08	82	20	156
मई-2020	34	07	29	06	76
जून-2020	24	09	48	10	91
जुलाई-2020	41	09	31	11	92
अगस्त-2020	39	10	71	17	137
सितम्बर-2020	31	04	39	09	83
अक्टूबर-2020	16	06	23	14	59
नवम्बर-2020	25	05	40	05	75
दिसम्बर-2020	21	05	25	06	57
जनवरी-2021	22	03	42	03	70
फरवरी-2021	26	04	43	04	77
मार्च-2021	05	03	49	11	68
योग	330	73	522	116	1041

अनुलग्नक 1 (ब) / (प्रस्तर-1 के सन्दर्भ में)
सिंचाई खण्डों द्वारा विलम्ब से प्रेषित लेखों की सूची
अप्रैल-2020 से मार्च 2021
प्राप्ति की निर्धारित तिथि (अगले माह की 10वीं तारीख)

क्र०स०	आई. आर. डी.	खण्ड का नाम	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2021
1.	001	सिंचाई खण्ड, अल्मोड़ा	28.05.20			18.08.20	16.09.20							
2.	002	सिंचाई खण्ड, रानीखेत	12.05.20		14.07.20	18.08.20	16.09.20	16.10.20	17.11.20		12.01.21			
3.	003	लघु डाल खण्ड अल्मोड़ा	25.05.20			18.08.20	16.09.20		25.11.20			11.02.21		
4.	031	सिंचाई खण्ड, बागेश्वर				18.08.20	16.09.20	13.10.20	17.11.20	15.12.20				
5.	035	सिंचाई खण्ड, चमोली			14.07.20		16.09.20	21.10.20	13.11.20	15.12.20		11.02.21		
6.	045	सिंचाई खण्ड, लोहाघाट, चम्पावत	28.05.20	30.06.20	14.07.20	18.08.20	23.09.20			15.12.20	15.01.21	16.02.21	16.03.21	
7.	053	सिंचाई खण्ड, देहरादून	21.05.20	11.06.20									12.03.21	
8.	054	सिंचाई खण्ड, कालसी		21.07.20		18.08.20	23.09.20			14.12.20			12.03.21	
9.	055	नलकूप खण्ड, देहरादून	18.05.20							11.12.20			15.03.21	
10.	056	अनुसंधान एवं अवस्थापना खण्ड, देहरादून	21.05.20							22.12.20	12.01.21	15.02.21	15.03.21	
11.	061	सिंचाई खण्ड, विकासनगर, देहरादून	22.05.20			18.08.20	16.09.20				12.01.21			
12.	066	परियोजना खण्ड, देहरादून												
13.	069	डाकपत्थर कालोनी एवं संचार खण्ड	28.05.20	11.06.20		18.08.20	28.09.20	16.10.20		15.12.20	12.01.21	11.02.21	16.03.21	
14.	073	सिंचाई खण्ड रुड़की	15.05.20		14.07.20									
15.	126	सिंचाई खण्ड हरिद्वार	13.05.20				15.09.20							
16.	127	अवस्थापना (पुर्नवास) खण्ड, ऋषिकेश, देहरादून												
17.	128	परियोजना खण्ड, ऋषिकेश				18.08.20		13.10.20					12.03.21	
18.	129	नलकूप खण्ड रुड़की, हरिद्वार		30.06.20			16.09.20	19.10.20		15.12.20	22.01.21		25.05.21	
19.	130	सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रुड़की						13.10.20		14.12.20		11.02.21		
20.	131	परिकल्प खण्ड, रुड़की	27.05.20			18.08.20	16.09.20	14.10.20	13.11.20				15.03.21	
21.	132		15.05.20											

22.	133	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, रूड़की	01.06.20			18.08.20	16.09.20	13.10.20					
23.	135	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	28.05.20			18.08.20		13.10.20		15.12.20	14.01.21		
24.	150	सिंचाई खण्ड, नैनीताल	19.05.20	11.06.20		18.08.20	16.09.20	13.10.20	23.11.20	15.12.20	21.01.21	16.02.21	15.03.21
25.	151	नलकूप खण्ड, हल्द्वानी	30.06.20	30.06.20	14.07.20	18.08.20	16.09.20	19.10.20		15.12.20	15.01.21	11.02.21	15.03.21
26.	153	जमरानी डैम निर्माण खण्ड-3, हल्द्वानी, नैनीताल	18.06.20			25.08.20	16.09.20			22.12.20	12.01.21	16.02.21	
27.	154	सिंचाई खण्ड, रामनगर, नैनीताल		30.07.20	14.07.20	18.08.20	16.09.20		17.11.20		12.01.21	11.02.21	
28.	155	सिंचाई खण्ड, हल्द्वानी	15.05.20	30.07.20		18.08.20	16.09.21						
29.	170	सिंचाई खण्ड, दुगडडा	13.07.20	30.06.20			15.09.20	12.10.20		11.12.20			12.03.21
30.	171	सिंचाई खण्ड, श्रीनगर	15.05.20	30.06.20			16.09.20					11.02.21	
31.	172	नलकूप खण्ड, बाजपुर	13.05.20		20.07.20	18.08.20	23.09.20	19.10.20					
32.	200	सिंचाई निर्माण खण्ड, पिथौरागढ़		11.06.20		18.08.20	16.09.20	13.10.20			25.01.21		
33.	230	सिंचाई खण्ड, रुद्रप्रयाग रुद्रप्रयाग	25.05.20	11.06.20		18.08.20							
34.	240	सिंचाई खण्ड, नई टिहरी	29.5.20	30.06.20	14.07.20		16.09.20						
35.	241	अवस्थापना/पुर्नवास खण्ड, नई टिहरी	08.07.20	09.07.20	23.07.20	25.08.20	23.09.20		25.11.20	22.12.20	19.01.21	16.02.21	19.03.21
36.	242	सिंचाई खण्ड, नरेन्द्रनगर	15.05.20	30.06.20									
37.	250	सिंचाई खण्ड, काशीपुर, उधमसिंह नगर	13.05.20	22.06.20		18.08.20	23.09.20	13.10.20	25.11.20	15.12.20	14.01.21	16.02.21	26.03.21
38.	251	सिंचाई खण्ड, रुद्रपुर, ऊधम सिंह नगर		11.06.20			16.09.20						
39.	260	सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी	20.06.20	30.06.20	15.07.20	25.08.20	16.09.20	15.10.20	17.11.20	11.12.20			15.03.21
40.	261	सिंचाई खण्ड, पुरोला, उत्तरकाशी											
41.	262	अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड, जोशियाडा, उत्तरकाशी	13.07.20	13.07.20	14.07.20								15.03.21
42.	266	अवस्थापना खण्ड, उत्तरकाशी	13.07.20	13.07.20									
43.	270	नलकूप खण्ड, रामनगर	13.05.20			25.08.20	16.09.20	13.10.20					
44.	271	सिंचाई खण्ड, केदारनाथ	15.05.20		14.07.20			12.10.20					

45.	272	सिंचाई खण्ड, धारचुला पिथौरागढ़			14.07.20	18.08.20	16.09.20	13.10.20	21.11.20	22.12.20	25.01.21	02.03.21	12.03.21	
46.	273	सिंचाई खण्ड, कपकोट	25.05.20	30.07.20	14.07.20	18.08.20	16.09.20	19.10.20			19.01.21	16.02.21	15.03.21	
47.	274	सिंचाई खण्ड, थराली, चमोली		30.07.20				12.10.20	26.11.20					
48.	276	प्रशिक्षण परियोजना कुमाऊ, रूडकी	13.05.20			18.08.20						11.02.21		20.04.21
49.	331	(सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0 (पी0एम0जी0एस0वाई0), अल्मोडा				18.08.20							12.03.21	
50.	333	सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0 (पी0एम0जी0एस0वाई0) बागेश्वर	27.05.20	11.06.20	14.07.20	18.08.20		13.10.20		24.12.20	27.01.21			
51.	334	सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0 (पी0एम0जी0एस0वाई0) नैनीताल	27.05.20			18.08.20								
52.	335	सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0 (पी0एम0जी0एस0वाई0), चम्पावत	12.05.20		14.07.20	18.08.20	16.09.20			15.12.20			12.03.21	
53.	336	सिंचाई खण्ड (पी.एम.जी. एस.वाई.), श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल				18.08.20	16.09.20							
54.	337	सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0 (पी0एम0जी0एस0वाई0) कोटद्वार	19.05.20	12.06.20			23.09.20	13.10.20		15.12.20				
55.	338	सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0 (पी0एम0जी0एस0वाई0) पिथौरागढ़							17.11.20		13.01.21			
56.	339	सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0 (पी0एम0जी0एस0वाई0) रुद्रप्रयाग,	26.06.20	26.06.20	14.07.20			12.10.20						
57.	341	सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0 (पी0एम0जी0एस0वाई0) टिहरी	30.06.20			25.08.20	28.09.20				21.01.21	11.02.21	15.03.21	
58.	342	सिंचाईखण्ड-2, लो0नि0वि0 (पी0एम0जी0एस0वाई0) टिहरी			14.07.20	01.09.20		13.10.20		28.12.20				

59.	343	सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0 (पी0एम0जी0एस0वाई0) उत्तरकाशी		13.07.20	14.07.20		05.10.20		17.11.20			11.02.21	31.03.21	
60.	349	सिंचाई खण्ड (पी.एम.जी.एस. वाई.) बैजरो पौड़ी गढ़वाल		19.06.20					23.11.20					21.04.21
61.	350	सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0 (पी0एम0जी0एस0वाई0) पुरौला	27.05.20	30.06.20	14.07.20	18.08.20	16.09.20	14.10.20						
62.	351	सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0 (पी0एम0जी0एस0वाई0) देहरादून												
63.	353	सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0 (पी0एम0जी0एस0वाई0) लोहाघाट	19.05.20	30.06.20	14.07.20	18.08.20	16.09.20		17.11.20			16.02.21		20.04.21
64.	354	सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0 (पी0एम0जी0एस0वाई0) जखोली										11.02.21		
65.	355	लघुडाल खण्ड, पिथौरागढ़		30.06.20	20.07.20	25.08.20		14.10.20		22.12.20		16.02.21	16.03.21	
66.	356	लघुडाल खण्ड, उत्तरकाशी		30.06.20		25.08.20	16.09.20			14.12.20	27.01.21		12.03.21	
67.	357	लघुडाल खण्ड, श्रीनगर	28.05.20			18.08.20								22.04.21
68.	358	नलकूप खण्ड, टनकपुर	21.05.20	30.06.20		18.08.20	16.09.20	13.10.20				11.02.21	12.03.21	
69.	359	नलकूप खण्ड, हरिद्वार	14.05.20							14.12.20				19.04.21
70.	360	जल विज्ञान खण्ड	27.05.20		14.07.20								12.03.21	
71.	361	अवस्थापना पुनर्वास खण्ड		30.06.20				19.10.20						
72.	362	सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0 (पी0एम0जी0एस0वाई0) हल्द्वानी			20.07.20	25.08.20		14.10.20			12.01.21			

अनुलग्नक 1 (ब) / (प्रस्तर-1 के सन्दर्भ में)
लघु सिंचाई खण्डों द्वारा विलम्ब से प्रेषित लेखों की सूची
अप्रैल-2020 से मार्च 2021
प्राप्ति की निर्धारित तिथि (अगले माह की 10वीं तारीख)

क्र०स०	खण्ड का नाम	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
		2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2021
1.	100	लघु सिंचाई खण्ड तपोवन रोड, निकट ब्लॉक आफिस, रायपुर, देहरादून	13.05.20	30.06.20	27.07.20	18.08.20	16.09.20						
2.	101	लघु सिंचाई खण्ड, हरिद्वार		11.06.20									
3.	200	लघु सिंचाई खण्ड, नैनीताल	13.05.20		15.07.20	25.08.20	28.09.20		25.11.20		22.01.21	16.02.21	12.03.21
4.	201	लघु सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी	26.06.20	25.06.20		18.08.20		12.10.20	25.11.20	14.12.20			
5.	300	लघु सिंचाई खण्ड, पौड़ी	19.05.20		14.07.20	18.08.20	16.09.20				13.01.21	15.02.21	19.04.21
6.	301	लघु सिंचाई खण्ड, गोपेश्वर, चमोली	13.05.20		14.07.20	18.08.20	16.09.20		17.11.20	15.12.20	12.01.21		15.03.21
7.	400	लघु सिंचाई खण्ड, रुद्रप्रयाग				18.08.20	16.09.20						20.04.21
8.	401	लघु सिंचाई खण्ड, बागेश्वर	30.07.20	30.06.20	20.07.20	18.08.20	23.09.20	16.10.20	17.11.20		14.01.21	16.02.21	15.03.21
9.	500	लघु सिंचाई खण्ड, टिहरी	19.05.20	30.06.20	15.07.20	25.08.20	15.09.20						
10.	501	लघु सिंचाई खण्ड, चम्पावत	01.06.20	30.06.20	20.07.20		23.09.20	19.10.20	17.11.20	22.12.20	18.01.21		17.03.21
11.	600	लघु सिंचाई खण्ड, पिथौरागढ़			25.08.20	25.08.20	16.09.20	26.10.20		01.01.21			
12.	601	लघु सिंचाई खण्ड, उधमसिंह नगर		30.06.20			16.09.20						
13.	700	लघु सिंचाई खण्ड, अल्मोड़ा			20.07.20				19.11.20	22.12.20			

अनुलग्नक 1 (ब) / (प्रस्तर-1 के सन्दर्भ में)
लोक निर्माण खण्डों द्वारा विलम्ब से प्रेषित लेखों की सूची
अप्रैल-2020 से मार्च 2021
प्राप्ति की निर्धारित तिथि (अगले माह की 10वीं तारीख)

क्र०स०	कोड	खण्ड का नाम	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2021
1.	001	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा	19.05.20		13.07.20	14.08.20	15.09.20	23.10.20	17.11.20	23.12.20	15.01.21	17.02.21	15.03.21	11.06.21
2.	002	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा	19.05.20				15.09.20							20.04.21
3.	003	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, रानीखेत	18.05.20				15.09.20	13.10.20		16.12.20				
4.	004	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, रानीखेत	18.05.20	22.06.20		17.08.20	14.09.20	13.10.20		16.12.20			15.03.21	15.05.21
5.	016	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, बागेश्वर	19.05.20		14.07.20		14.09.20	13.10.20		16.12.20		15.02.21	15.03.21	22.04.21
6.	026	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, गोपेश्वर	22.05.20		15.07.20	17.08.20	15.09.20		16.12.20	16.12.20	12.01.21	17.02.21		
7.	027	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, कर्णप्रयाग	22.05.20			17.08.20						11.02.21	12.03.21	20.04.21
8.	028	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, ऊखीमठ	13.05.20			13.08.20	14.09.20	15.10.20	17.11.20			11.02.21	15.03.21	19.04.21
9.	029	अस्थाई विद्युत यांत्रिक खण्ड, गोपेश्वर	25.05.20		13.07.20		15.09.20			14.12.20	13.01.21		12.03.21	19.04.21
10.	030	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि० थराली	13.06.20	13.06.20	14.08.20	13.08.20	15.09.20	13.10.20	17.11.20	21.12.20		17.02.21	15.03.21	18.06.21
11.	031	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, गौचर	10.06.20		15.07.20	17.08.20	17.09.20	14.10.20	17.11.20	11.12.20				19.04.21
12.	045	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, चम्पावत	25.05.20				15.09.20		17.11.20		15.01.21	11.02.21	15.03.21	
13.	046	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लोहाघाट	23.07.20	23.07.20	23.07.20	19.08.20	23.09.20		17.11.20	22.12.20	18.01.21	15.02.21	15.03.21	
14.	051	प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून	25.05.20	23.07.20			15.09.20	28.10.20		16.12.20	21.01.21	01.03.21	24.06.21	24.06.21
15.	052	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि० सैहिया	25.05.20	12.06.20	13.07.20									
16.	053	अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चकराता	18.05.20		15.07.20		11.09.20			11.12.20				19.04.21

17.	054	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून	22.05.20	12.06.20			15.09.20			11.12.20		11.02.21		19.04.21
18.	055	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0 डोईवाला	18.05.20		13.07.20							12.02.21		
19.	056	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पोखरी, चमोली	18.05.20	15.06.20	15.07.20	20.08.20			25.11.20		12.01.21			
20.	057	निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लक्सर हरिद्वार	11.05.20				22.09.20					12.02.21		19.04.21
21.	071	प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार	18.05.20		15.07.20	14.08.20				16.12.20		12.02.21	12.03.21	15.06.21
22.	072	वि0 एवं यां खण्ड लो0 नि0 वि0 ऋषिकेश	12.05.20		13.07.20	26.08.20		14.10.20	20.11.20	18.12.20	13.01.21			
23.	073	अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश	14.05.20	11.06.20										20.04.21
24.	075	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0 रुड़की	18.05.20	11.06.20		14.08.20	11.09.20						15.03.21	
25.	091	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल	09.06.20	24.06.20	13.07.20		17.09.20	13.10.20		15.12.20		15.02.21	15.03.21	21.05.21
26.	092	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल	09.06.20	15.06.20			14.09.20	13.10.20	20.11.20				15.03.21	21.05.21
27.	093	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, काशीपुर	21.05.20	15.06.20	13.07.20	13.08.20	14.09.20	13.10.20	20.11.20		15.01.21			19.04.21
28.	094	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, खटीमा	01.06.20				14.09.20							22.04.21
29.	095	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रामनगर	25.05.20				15.09.20	13.10.20						
30.	096	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, हल्द्वानी	25.05.20			13.08.20	14.09.20	13.10.20		15.12.20		12.02.21	15.03.21	
31.	098	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, भवाली	22.05.20		13.07.20		14.09.20	14.10.20						22.04.21
32.	100	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, हल्द्वानी	18.05.20					13.10.20	25.11.20			11.02.21	12.03.21	
33.	120	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, पौड़ी	24.06.20	24.06.20			15.09.20			28.12.20				
34.	121	प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लैन्सडाऊन	22.05.20	15.07.20	13.07.20					17.12.20				19.04.21
35.	122	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 दुगड्डा	08.06.20									15.02.21		
36.	123	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पौड़ी	25.05.20				14.09.20							19.04.21

37.	124	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, श्रीनगर					14.09.20							19.05.21
38.	125	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बैजराँ	22.05.20				15.09.20				13.01.21			
39.	126	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0 श्रीनगर	18.05.20		13.07.20	19.08.20	15.09.20	14.10.20				15.02.21	15.03.21	
40.	140	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़	18.05.20				14.09.20	13.10.20		15.12.20		15.02.21		06.07.21
41.	141	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, डीडीहाट					15.09.20	13.10.20				11.02.21		
42.	142	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अस्कोट		14.05.20		20.08.20	23.09.20					15.02.21	14.06.21	14.06.21
43.	143	विधुत यांत्रिक खण्ड, पिथौरागढ़	05.06.20	14.05.20	15.07.20		15.09.20	13.10.20	25.11.20					19.04.21
44.	144	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, बेरीनाग	19.05.20		15.07.20	20.08.20	15.09.20	13.10.20		15.12.20		15.02.21		20.04.21
45.	160	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रुद्रप्रयाग					15.09.20						15.03.21	
46.	170	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, नई टिहरी					14.09.20				18.01.21	15.02.21	15.03.21	20.04.21
47.	171	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नई टिहरी	05.06.20					20.11.20	20.11.20					
48.	172	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, चम्बा					11.09.20						15.03.21	22.04.21
49.	173	निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नरेन्द्रनगर	15.05.20	15.06.20			11.09.20			15.12.20			15.03.21	
50.	174	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, घनसाली	09.06.20				14.09.20	13.10.20				12.02.21	15.03.21	20.04.21
51.	175	अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, थत्यूड	18.05.20		17.07.20			22.10.20		28.12.20	25.01.21	11.02.21	22.03.21	15.05.21
52.	200	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रुद्रप्रयाग	09.06.20		13.07.20	13.08.20	15.09.20		20.11.20	16.12.20		11.02.21	15.03.21	21.05.21
53.	202	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, गुप्तकाशी	10.06.20		22.07.20	25.08.20	17.09.20	15.10.20	20.11.20	15.12.20	14.01.21	15.02.21	15.03.21	
54.	210	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी	18.05.20					13.10.20						19.04.21
55.	211	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, भटवाडी	12.06.20											19.04.21
56.	213	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पुरोला	18.05.20		17.07.20	25.08.20	17.09.20	16.10.20	17.11.20	16.12.20	15.01.21	12.02.21	15.03.21	21.05.21
57.	216	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी	21.07.20	21.07.20	13.07.20		11.09.20			16.12.20			15.03.21	21.05.21

58.	217	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बड़कोट	05.06.20							11.12.20			13.03.21	
59.	219	निर्माण खण्ड (ए0डी0बी0), लो0नि0वि0 देहरादून					15.09.20							
60.	220	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रुड़की			13.07.20						13.01.21		15.03.21	
61.	221	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बड़कोट	13.05.20		13.07.20								15.03.21	
62.	222	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट	13.05.20				15.09.20							
63.	223	निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0, नैनीताल	19.05.20	11.08.20	13.07.20		23.09.20	14.10.20		16.12.20	15.01.21	15.03.21	22.03.21	15.05.21
64.	224	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट	19.05.20		13.07.20		16.09.20			15.12.20	13.01.21	15.02.21	22.03.21	15.05.21
65.	225	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, धूमाकोट	19.05.20				16.09.20	13.10.20			18.01.21			
66.	226	निर्माण खण्ड (ए0डी0बी0), लो0नि0वि0, गौचर	20.05.20		13.07.20		16.09.20			21.12.20	18.01.21	19.02.21	19.03.21	25.05.21
67.	227	वि0 एवं यां खण्ड लो0 नि0 वि0 बाजपुर	18.05.20		15.07.20		14.09.20							25.05.21
68.	228	निर्माण खण्ड, लो0 नि0वि0 अल्मोड़ा	19.05.20		15.07.20		15.09.20	26.10.20		15.12.20	12.01.21			15.05.21
69.	229	निर्माण खण्ड (ए0डी0बी0), लो0नि0वि0, पौड़ी	18.05.20		15.07.20		16.09.20						15.03.21	
70.	230	निर्माण खण्ड (ए0डी0बी0), लो0नि0वि0, टिहरी	21.06.20	21.06.20	13.07.20	14.08.20	15.09.20	15.10.20	17.11.20	15.12.20	18.01.21		17.03.21	20.04.21
71.	231	निर्माण खण्ड (ए0डी0बी0), लो0नि0वि0, पिथौरागढ़	10.06.20	21.06.20	17.07.20	17.08.20	15.09.20	19.10.20	17.11.20	28.12.20		19.02.21	19.04.21	19.04.21
72.	232	निर्माण खण्ड-2 (ए0डी0बी0), लो0नि0वि0, दुगड़डा	13.06.20		15.07.20		16.09.20							
73.	233	निर्माण खण्ड (ए0डी0बी0), लो0नि0वि0, रुद्रपुर	21.05.20		17.07.20	14.08.20	15.09.20					15.02.21		19.04.21
74.	234	निर्माण खण्ड (ए0डी0बी0), लो0नि0वि0, उत्तरकाशी	21.07.20					13.10.20			12.01.21			20.04.21
75.	235	निर्माण खण्ड (ए0डी0बी0), लो0नि0वि0, बागेश्वर	18.05.20				15.09.20		17.11.20	15.12.20				
76.	236	विद्युत एवं यात्रिक खण्ड, लोक निर्माण विभाग देहरादून	21.05.20	15.06.20				14.10.20		11.12.20				
77.	237	वि0/यां खण्ड, लो0 नि0 वि0 भीमताल	13.05.20	15.06.20	13.07.20		23.09.20	13.10.20		15.12.20		12.02.21		20.04.21

78.	238	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0 नि0 वि0, रानीखेत	11.05.20		13.07.20		15.09.20	13.10.20			15.02.21		
79.	239	अस्थाई खण्ड लो0 नि0 वि0 गुप्तकाशी	10.06.20		22.07.20	25.08.20	28.09.20			15.12.20	15.02.21		
80.	240	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पावौ	22.05.20	13.07.20	22.07.20	13.08.20	14.09.20	13.10.20		15.12.20			
81.	241	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर	19.05.20		13.07.20		14.09.20				12.02.21		
82.	242	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रुद्रप्रयाग		15.06.20			14.09.20				12.01.21		15.03.21
83.	243	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, गैरसैण	25.05.20	15.06.20	21.07.20	14.08.20	15.09.20						12.03.21
84.	330	निर्माण खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई), लो0नि0वि0, कालसी					16.09.20						
85.	332	निर्माण खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई), लो0नि0वि0, पोखरी	19.05.20		15.07.20	14.08.20					12.02.21	12.07.21	
86.	340	निर्माण खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई), लो0नि0वि0, सल्ट	19.05.20		17.07.20	14.08.20	15.09.20	13.10.20		15.12.20	15.01.21	25.02.21	
87.	344	निर्माण खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई), लो0नि0वि0, अल्मोडा	20.05.20		14.07.20					16.12.20	15.01.21		12.07.21
88.	345	निर्माण खण्ड पी0एम0जी0एस0वाई, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़	20.05.20			14.08.20	15.09.20						12.03.21
89.	346	निर्माण खण्ड पी0एम0जी0एस0वाई, लो0नि0वि0,					15.09.20		17.11.20				
90.	347	पी0एम0जी0एस0वाई, लो0नि0वि0, सतपुली, कोटद्वार	09.06.20	15.06.20			15.09.20						
91.	348	पी0एम0जी0एस0वाई, लो0नि0वि0, नरेन्द्र नगर	18.05.20				15.09.20				12.02.21		
92.	355	पी0एम0जी0एस0वाई0, लो0नि0वि0, कीर्तिनगर	18.05.20	15.06.20	22.07.20	28.09.20	28.09.20	19.10.20	17.11.20		15.02.21	12.03.21	12.07.21
93.	357	पी0एम0जी0एस0वाई0, पी0आई0यू, लो0नि0वि0, कर्णप्रयाग	27.07.20	27.07.20	27.07.20	14.08.20			17.11.20		15.02.21	12.03.21	12.07.21

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा

1.	010	ग्रामीण निर्माण विभाग, अल्मोड़ा			13.07.20	14.08.20	15.09.20	27.10.20	17.11.20	15.12.20	12.01.21	15.02.21	15.03.21	12.07.21
2.	020	ग्रामीण निर्माण विभाग, बागेश्वर	11.05.20		13.07.20	13.08.20			12.11.20					
3.	030	ग्रामीण निर्माण विभाग, चमोली	28.05.20		13.07.20	13.08.20	11.09.20				12.01.21			20.04.21
4.	040	ग्रामीण निर्माण विभाग, रुद्रप्रयाग	11.05.20	12.06.20			15.09.20		12.11.20					
5.	050	ग्रामीण निर्माण विभाग, देहरादून	22.05.20				21.09.20	16.10.20		15.12.20				20.04.21
6.	060	ग्रामीण निर्माण विभाग, हरिद्वार	01.06.20		30.07.20	13.08.20		12.10.20	17.11.20		12.01.21			20.04.21
7.	070	ग्रामीण निर्माण विभाग, नैनीताल	19.05.20				14.09.20		11.11.20		12.01.21			19.04.21
8.	080	ग्रामीण निर्माण विभाग, (वि०/या०) देहरादून	12.05.20											
9.	090	ग्रामीण निर्माण विभाग, पौड़ी	10.06.20		13.07.20	17.08.20	15.09.20		12.11.20			11.02.21		
10.	100	ग्रामीण निर्माण विभाग, चम्पावत	18.05.20		13.07.20	17.08.20	15.09.20		11.11.20	16.12.20				19.04.21
11.	110	ग्रामीण निर्माण विभाग, पिथौरागढ़	22.05.20	19.06.20	13.07.20		23.09.20	13.10.20	12.11.20				12.03.21	
12.	130	ग्रामीण निर्माण विभाग, टिहरी	18.05.20	26.06.20		17.08.20	11.09.20		11.11.20					20.04.21
13.	150	ग्रामीण निर्माण विभाग, उद्यमसिंहनगर	22.05.20		13.07.20		15.09.20	13.10.20	12.11.20		14.01.21			19.04.21
14.	170	ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तरकाशी	19.06.20	19.05.20	28.07.20	15.09.20	15.09.20	20.10.20		11.12.20			12.03.21	20.04.21
15.	180	ग्रामीण निर्माण विभाग, कोटद्वार	19.05.20				14.09.20							
16.	190	ग्रामीण निर्माण विभाग, घनसाली	25.05.20	19.05.20			14.09.20							
17.	200	ग्रामीण निर्माण विभाग, (अस्थाई), डीडीहाट	25.05.20	26.06.20	13.07.20	25.08.20	15.09.20	13.10.20	11.11.20		15.01.21	12.02.21		
18.	210	ग्रामीण निर्माण विभाग, (अस्थाई), भिकियासैण्ड	22.05.20			14.08.20	15.09.20	13.10.20	12.11.20	15.12.20			12.03.21	19.04.21
19.	220	ग्रामीण निर्माण विभाग, (पी०एम०जी०एस०वाई), कर्णप्रयाग	10.06.20			14.08.20	15.09.20		12.11.20					
20.	230	ग्रामीण निर्माण विभाग, (पी०एम०जी०एस०वाई), डीडीहाट	29.05.20					15.09.20	13.10.20	12.11.20				19.04.21
21.	240	ग्रामीण निर्माण विभाग,, पी०एम०जी०एस०वाई), कपकोट	11.05.20											

अनुलग्नक-2
(प्रस्तर-3 के सन्दर्भ में)

2020-21 के अंत में सिंचाई खण्डों के जमा के अन्तर्गत ऋणात्मक अवशेष।

क्रमांक	वी0एल0सी0 कोड	खण्ड का नाम	अवशेष (धनराशि रु. में)
1.	069	अवस्थापना खण्ड, डाकपत्थर	-8868718.14
2.	129	नलकूप खण्ड, रूड़की	-305450.00
3.	135	अवस्थापना खण्ड (पुनर्वास), ऋषिकेश	-27145237.00
योग			-36319405.14

अनुलग्नक-3
(प्रस्तर-4 के सन्दर्भ में)

वित्तीय वर्ष 2020-21 के समाप्ति पर नकद परिशोधन उचन्त लेखे में बड़ी मात्रा में लम्बित धनराशियों का खण्डवार विवरण:-

क्रम सं०	खण्ड का नाम	धनराशि रु. में
1.	सिंचाई खण्ड, रामनगर, नैनीताल	1515872.00
2.	नलकूप खण्ड, हल्द्वानी	750610.22
3.	सिंचाई खण्ड, काशीपुर	2541214.35
4.	नलकूप खण्ड, बाजपुर	5686536.00
5.	अवस्थापना खण्ड, उत्तरकाशी	489437.00
6.	सिंचाई खण्ड, नैनीताल	296560.72
7.	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, उखीमठ	75487.62
8.	प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०, नैनीताल	4650739.87
योग		16006457.78

अनुलग्नक-4
(प्रस्तर-5 के सन्दर्भ में)

वित्तीय वर्ष 2020-21 के समाप्ति पर सामग्री क्रय परिशोधन उच्चत लेखे में बड़ी मात्रा में लम्बित धनराशियों का खण्ड वार विवरण:-

क्रम सं०	खण्ड का नाम	धनराशि रू. में
1.	अनुसंधान एवं अवस्थापना खण्ड, देहरादून	23848095
2.	अवस्थापना खण्ड, उत्तरकाशी	742569
3.	नलकूप खण्ड, हल्द्वानी	68822
4.	सिंचाई खण्ड, काशीपुर	199492
5.	सिंचाई खण्ड, रामनगर, नैनीताल	856098.15
6.	सिंचाई खण्ड, नैनीताल	91933
7.	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, उखीमठ, रूद्रप्रयाग	33300
8.	प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०, नैनीताल	459000.00
योग		26299309.15

अनुलग्नक-5
(प्रस्तर-6 के सन्दर्भ में)

निर्माण खण्डों से प्राप्त प्रपत्र-51 के भाग-1 में अनिस्तारित रोकड़ (Cash) की सूची:-

चालानों की संख्या	अवधि	कुल धनराशि (₹.)
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सैइया कालसी		
29	नवम्बर 2007 से मार्च 2019	-171954.00
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, काशीपुर		
03	दिसम्बर 2012 से जुलाई 2016	3465434.00
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, खटीमा		
02	दिसम्बर 2014 से जुलाई-2016 तक	4884100.00
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर		
09	जनवरी 2007 से नवम्बर 2018 तक	4515678.00
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अस्कोट		
26	अप्रैल-2008 से सितम्बर-2013 तक	27627022.00
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रूद्रप्रयाग		
04	जनवरी 2001से मई 2013 तक	1192180.00
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चम्बा		
07	दिसम्बर-2015 से दिसम्बर-2018 तक	-4819740.00
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रूद्रपुर		
14	अगस्त-2001 से फरवरी-2018 तक	-8601651.00
निर्माण खण्ड (ए0डी0बी0), लोक निर्माण विभाग, पौडी		
17	फरवरी-2016 से दिसम्बर-2018 तक	-668.00
विद्युत एवं यात्रिक खण्ड, लोक निर्माण विभाग देहरादून		
09	मार्च-2014 से मार्च-2019 तक	1661980.00
विद्युत एवं यात्रिक खण्ड, लोक निर्माण विभाग, भीमताल		
04	अप्रैल-2018 से मार्च-2019 तक	-688895.00
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर		
01	मार्च-2019	8850.00
ग्रामीण निर्माण विभाग, चमोली		
21	जुलाई-2003 से मार्च-2019 तक	-12903215.00

नोट : उपरोक्त अनिस्तारित रोकड़ मार्च 2019 तक की दर्शायी गयी है। चूंकि सचिव, वित्त अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0-306/XXVI(6)/एक/2018/2019 दिनांक 05 सितम्बर 2019 के बिन्दु (क) 6 के अनुसार - लोक निर्माण प्रेषण से संबंधित लेखाशीर्ष 8782-00-102 को समाप्त कर दिया गया।

अनुलग्नक-6
(प्रस्तर-6 के सन्दर्भ में)

निर्माण खण्डों से प्राप्त प्रपत्र-51 के भाग-2 में अनिस्तारित चैकों (Cheque) की सूची:-

चैकों की संख्या	अवधि	कुल धनराशि (रु.)
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, काशीपुर		
12	जून-2006 से जून-2016 तक	185470.00
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, खटीमा		
11	मार्च-2003 से फरवरी-2015 तक	-53066.00
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर		
04	फरवरी-2008 से मार्च-2017 तक	10168.00
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अस्कोट		
25	जनवरी-2003 से मार्च 2014 तक	1556508.00
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रुद्रप्रयाग		
07	मार्च-2009 से, फरवरी-2013	69761.00
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चम्बा		
06	नवम्बर-2011 से मार्च-2017 तक	13101.00
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रुद्रपुर		
17	अक्टूबर-2007 से मई-2017 तक	22417.00
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लोहाघाट		
05	अगस्त-2008 से अक्टूबर-2013 तक	35742.00
निर्माण खण्ड-2 (ए0डी0बी0), लो0नि0वि,, अल्मोड़ा		
01	मार्च-2013	10000.00
निर्माण खण्ड (ए0डी0बी0), लोक निर्माण विभाग, पौड़ी		
02	मार्च-2014 से मई-2017 तक	28461.00
विद्युत एवं यात्रिक खण्ड, लोक निर्माण विभाग देहरादून		
10	जून-2013 से सितम्बर- 2016	80853.00
ग्रामीण निर्माण विभाग, बागेश्वर		
03	जनवरी-2007 से नवम्बर-2014 तक	5707.00
ग्रामीण निर्माण विभाग, चमोली		
01	अक्टूबर-2001	9447.00

नोट : उपरोक्त अनिस्तारित चैक मार्च 2019 तक के दर्शाये गये हैं। चूंकि सचिव, वित्त अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0-306/XXVI(6)/एक/2018/2019 दिनांक 05 सितम्बर 2019 के बिन्दु (क) 6 के अनुसार - लोक निर्माण प्रेषण से संबंधित लेखाशीर्ष 8782-00-102 को समाप्त कर दिया गया।

अनुलग्नक-7
(प्रस्तर-8, भाग-1 के सम्बन्ध में)

31 मार्च 2019 के विभिन्न खण्डों के विरुद्ध लम्बित प्रकीर्ण अग्रिम जिनका निस्तारण किया जाना है:-

क्रम संख्या	खण्ड का नाम	धनराशि (रु. में)
1.	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोडा	1987041
2.	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, चम्पावत	1004932
3.	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नई टिहरी	989098.57
4.	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बडकोट	476768
5.	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रुड़की	124263
6.	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, थत्यूड़	4061735.80
7.	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पौड़ी	6734088
8.	रा0रा0मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत	15112
9.	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, नई टिहरी	8811260
10.	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी	6032670
11.	रा0रा0मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, धूमाकोट	2204528
12.	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पोखरी	2204670
13.	ग्रामीण निर्माण विभाग, पौड़ी	1220564
14.	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पाबौ	2446945
15.	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, कीर्तिनगर	3167466
16.	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट	23449149
17.	ग्रामीण निर्माण विभाग, उधमसिंह नगर	655453
18.	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, काशीपुर	7721338
19.	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, चकराता	8065340
20.	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून	668662
21.	प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वि0, भटवाडी	21402330
22.	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, बेरीनाग	46174955.98
23.	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, दुगड्डा	35362548
24.	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, सहिया	6538934.35
25.	प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी	5895669
26.	विद्युत एवं यांत्रिक खण्ड, लो0नि0वि0, गोपेश्वर, चमोली	398565
27.	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत	3413738.36
28.	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून	9780521
29.	ग्रामीण निर्माण विभाग, चमोली	902668.36
30.	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग	2325535
31.	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रामनगर	11568104
32.	प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वि0, गोपेश्वर, चमोली	4579884.31

33.	ग्रामीण निर्माण विभाग, नई टिहरी	174716.16
34.	रा0रा0मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट	161485
35.	निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0, देहरादून	1454321
36.	रा0रा0मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, बड़कोट	3977275
37.	प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वि0, पौडी	8226544
38.	प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वि0, रुद्रप्रयाग	378585.37
39.	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल	6332395
40.	ग्रामीण निर्माण विभाग, पिथौरागढ़	895731
41.	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बैजरोँ	30708525
42.	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, गैरसैण	4457272
43.	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, श्रीनगर	3707742
44.	प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत	33055495
45.	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नरेन्द्रनगर	9120128
46.	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, गौचर	3162585
47.	प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल	7088678
48.	प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वि0, डीडीहाट	2666407
49.	विद्युत एवं यांत्रिक खण्ड, ग्रामीण निर्माण विभाग, देहरादून	144249
50.	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, ऋषिकेश	5170594
51.	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, लैंसडाउन	6051554
52.	ग्रामीण निर्माण विभाग, नैनीताल	988133.87
53.	अवस्थापना खण्ड उत्तरकाशी	8370589.50
54.	अवस्थापना (पुर्नवास) खण्ड, ऋषिकेश	16692080
55.	नलकूप खण्ड, रुड़की	83687.70
56.	स्थापना खण्ड, रुड़की	281529
57.	सिंचाई खण्ड, काशीपुर	556715
58.	लघु सिंचाई, नैनीताल	749207.55
59.	सिंचाई खण्ड, पिथौरागढ़	1608399
60.	जमरानी बांध निर्माण खण्ड-2, हल्द्वानी	815632.40
61.	सिंचाई खण्ड, रुद्रप्रयाग	406910
62.	सिंचाई खण्ड, रुद्रपुर	308781.86
63.	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, रुड़की	9052647.01
64.	परिकल्प खण्ड, रुड़की	8642
65.	सिंचाई खण्ड, श्रीनगर गढ़वाल	4778816.16
66.	अवस्थापना (पुर्नवास) खण्ड, नई टिहरी	6077562.24
67.	सिंचाई निर्माण खण्ड, कालसी	4974936.76
68.	सिंचाई खण्ड, बागेश्वर	540219
69.	लघु सिंचाई खण्ड, गोपेश्वर	110000
70.	नलकूप खण्ड, बाजपुर	242756.55

71.	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	267992
72.	सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी	181489
73.	सिंचाई खण्ड, दुगड्डा	1972818
74.	सिंचाई खण्ड, नरेन्द्रनगर	676620.88
75.	परियोजना खण्ड, ऋषिकेश	241928772
76.	सिंचाई खण्ड, रामनगर, नैनीताल	173564
77.	सिंचाई खण्ड, लौहाघाट	680997
78.	नलकूप खण्ड, हल्द्वानी	4379649
79.	सिंचाई खण्ड, नई टिहरी	397690
80.	सिंचाई खण्ड, नैनीताल	2469400
81.	सिंचाई खण्ड, चमोली	186056.83
82.	सिंचाई खण्ड, थराली	1435176

अनुलग्नक-8
(प्रस्तर-1, भाग-2 के सन्दर्भ में)

अभियन्त्रण विभागों के प्रखण्डों/कार्यालयों का नाम, जिनके वर्ष 2020-21 में जारी हुए लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रथम उत्तर दिनांक 31.03.2021 तक प्राप्त नहीं हुए :-

क्र.सं.	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	खण्ड का नाम
वर्ष 2020-21 में लेखापरीक्षित लोक निर्माण विभाग के किसी भी इकाई का प्रथम उत्तर दिनांक 31.03.2021 तक प्राप्त नहीं हुआ था।		

अनुलग्नक-9
(प्रस्तर-2, भाग-2 के सन्दर्भ में)

स्थानीय निरीक्षण (वर्ष 2020-21) के दौरान पायी गयी महत्वपूर्ण अनियमितताये:-

क्र. सं.	खण्ड का नाम	निरीक्षण प्रतिवेदन सं०	महत्वपूर्ण अनियमितता एवं धनराशि
1	विभागाध्यक्ष/प्रमुख अभियंता	004/2020-21	लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड राज्य की शीर्ष एवं अग्रणी निर्माण संस्था होने के बावजूद भण्डारी बाग फ्लाई ओवर (ROB) का कार्य एक अन्य कार्यदायी संस्था (EPIL) को सौंपा जाना एवं स्वीकृति के 8 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी कार्य प्रारम्भ न किया जा सकना जबकि लागत में रू० 122.63 लाख की बढ़ोत्तरी होना तथा साथ ही जनमानस को सुगम यातायात के लाभ से वंचित रखना।
2	मुख्य अभियंता, देहरादून	008/2020-21	विभागीय शिथिलता एवं अनुश्रवण में कमी के कारण पुनरीक्षित स्वीकृति का शासन से स्वीकृत न होना एवं वित्तीय नियमों के विपरीत स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय होना।
3	अधिशायी अभियंता, प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून	015/2020-21	10 किमी मोटर मार्ग निर्माण के सापेक्ष मात्र 1.50 किमी. मार्ग निर्माण (मात्र पहाड़ कटान) पर रू० 118.31 लाख व्यय होने के बाद कार्य अवरुद्ध होना।
	"		प्रस्तर 2: वित्तीय स्वीकृति के 11 वर्षों बाद भी अपूर्ण रहने तथा वित्तीय स्वीकृति से रू० 41.29 लाख के अधिक व्यय करते हुए रू० 42.68 लाख के लंबित भुगतान व पुनरीक्षित आगणन में आपत्तियों का निराकरण वर्तमान तक न किया जाना।
4	अधिशायी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, डोईवाला	018/2020-21	प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त चेनेजों से इतर चेनेजों में बगैर सर्वे एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त चेनेजों में कार्य निष्पादन किए जाने के फलस्वरूप परिहार्य व्यय। (रू० 703.05 लाख)
	"		उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के विरुद्ध अनुबंध में शर्त रखे जाने के कारण ठेकेदार को रू० 123.68 लाख का अनियमित भुगतान।
5	अधिशायी अभियंता, प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०, उत्तरकाशी	038/2020-21	ठेकेदार के देयकों से रॉयल्टी की धनराशि रू०30.24 लाख की कम कटौती किया जाना।
6	अधिशायी अभियंता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, टिहरी	042/2020-21	अनुबंध की शर्तों के विपरीत ठेकेदार पर रू० 13.50 करोड़ का अर्थदंड न लगा कर अनुचित लाभ दिया जाना।
	"		रू० 18.09 करोड़ की सामग्री का लगभग विगत 12 वर्षों उपयोग न होने के कारण निष्प्रयोज्य हो जाने पर शासकीय हानि।
7	अधिशायी अभियंता, प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०, टिहरी	049/2020-21	10 किमी मोटर मार्ग निर्माण के सापेक्ष मात्र 1.50 किमी. मार्ग निर्माण (मात्र पहाड़ कटान) पर रू० 118.31 लाख व्यय होने के बाद कार्य अवरुद्ध होना।
8	अधिशायी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, श्रीनगर	052/2020-21	ठेकेदार से Liquidated Damage के रूप में वसूल की गई धनराशि पर रू० 6547668/- की जी.एस.टी. की वसूली न किया जाना

9	अधिशाली अभियंता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नरेन्द्रनगर	054/2020-21	कार्य अपूर्ण रहने के कारण धनराशि रू0 180.69 लाख का अवरुद्ध रहना।
10	अधिशाली अभियंता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी	059/2020-21	विविध अग्रिमों धनराशि रू0 66.85 लाख की वसूली लम्बित रहना।
11	अधिशाली अभियंता, प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वि0, लैंसडाउन	062/2020-21	विभागीय शिथिलता एवं वित्तीय नियमों के विपरीत वित्तीय स्वीकृति से अधिक व्यय (कुल व्यय 124.34 लाख) के उपरांत भी कार्य का 9 वर्षों से भी अधिक समय से अपूर्ण रहना।
12	अधिशाली अभियंता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, थत्यूड	067/2020-21	खण्ड द्वारा वित्तीय नियमावली के विपरीत प्राविधिक स्वीकृति से अधिक व्यय होने के बाद भी आंशिक कार्य किया जाना।
13	अधिशाली अभियंता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पुरोला	080/2020-21	वित्तीय नियमों का पालन न करते हुए कार्य के निष्पादन में रू0 117.19 लाख व्यय के उपरांत भी कार्य का अपूर्ण एवं अवरुद्ध रहने का प्रकरण। (B) वित्तीय नियमों का उल्लंघन करते हुए कार्य का निष्पादन एवं कार्य समयावधि के अंतर्गत पूर्ण न होने (10 माह से भी अधिक समय) पर भी ठेकेदार से रूपये 24.40 लाख के अर्थदंड की वसूली का लंबित रहना।
14	अधिशाली अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, धूमाकोट	089/2020-21	वित्तीय नियमों का पालन न करते हुए कार्य के निष्पादन में रू0 768.00 लाख की धनराशि का निष्प्रयोज्य रहना।
	“		खण्ड में कार्यरत 26 कार्मिकों का त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण कर वेतन भत्तों का भुगतान किया जाना।
15	अधिशाली अभियंता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बड़कोट	093/2020-21	भूमि का स्वामित्व प्राप्त किये बिना कार्य प्रारम्भ किये जाने के परिणामस्वरूप रू0 2.21 करोड़ का निष्फल व्यय।
16	अधिशाली अभियंता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, श्रीनगर	096/2020-21	वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का अनुपालन न किए जाने के परिणामस्वरूप 1203.78 लाख की धनराशि व्यय करने के उपरांत भी स्वीकृति के 8 वर्ष बाद भी डुंगरीपंथ-छातीखाल-खेड़ाखाल मोटर मार्ग के किमी. 1 से 15.92 किमी तक डेढ लेन में परिवर्तन एवं पी.सी. के द्वारा सुधारीकरण का कार्य अपूर्ण रहना।

अनुलग्नक-10
(प्रस्तर-2, भाग-2 के सन्दर्भ में)

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान निर्माण कार्य विभागों के मासिक लेखाओं में पायी गयी अनियमिततायें:-

क्र. सं.	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	खण्ड का नाम	महत्वपूर्ण अनियमितता	धनराशि
1	02	अधिशाली अभियंता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़	Hand Receipt से भुगतान करने का कारण बताए	19470.00
2	04	अधिशाली अभियंता, ग्रामीण निर्माण खण्ड, रुद्रपुर	बिना वाउचर के कार्य का भुगतान पर किया गया	556623.00
3	05	अधिशाली अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तरकाशी	वाउचर पर रेविन्यू स्टाम्प व किसी अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।	1608694.00
4	06	अधिशाली अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, पिथौरागढ़	भुगतान विलंब से करने के कारण स्पष्ट करें	106350.00
5	10	अधिशाली अभियंता, सिंचाई खण्ड, रुद्रपुर, उद्यमसिंह नगर	कार्य की सीमा तक पूर्ण न करने के कारण	50000.00
6	15	अधिशाली अभियंता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अस्कोट	Schedule docket 5 अंतर्गत नारायण आश्रम में निरीक्षण भवन के निर्माण कार्य पर रु0 8000000/- का व्यय वाउचर सं. 050 द्वारा फॉर्म 28 Hand receipt द्वारा किया गया। फॉर्म 28 की प्रतिलिपि लगी है जिस में दिनांक Revenue Stamp Authorized Officer के हस्ताक्षर नहीं है।	8000000.00
7	16	अधिशाली अभियंता, निर्माण खण्ड, रुद्रपुर	यदि कार्य 16.6.19 को समाप्त किया तो कार्य भुगतान 2 वर्ष 1 माह बाद करने के कारण साक्ष्यों के साथ क्लियर करें।	1355080.00
8	17	अधिशाली अभियंता, निर्माण खण्ड, रुद्रपुर	प्रपत्र 73 भंडार लेखा में अंतिम अवशेष ऋणात्मक दर्शाया गया है जो कि नहीं होना चाहिए। जब अंतिम अवशेष ऋणात्मक है तो रु. 2696446/- किया उधार पर issue credit किया गया है।	2696446.00
9	21	अधिशाली अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, कपकोट	वाउचर सं0 2 एवं 3 की धनराशि की भिन्नता को explanation करें	124000.00 42400.00

10	22	अधिशाली अभियंता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अस्कोट	नाबार्ड के काम के व्यय की धनराशि को स्टेशनरी सामग्री के क्रय पर किस कारण भारित किया।	19151.00 24780.00
11	28	अधिशाली अभियंता, निर्माण खण्ड, पोखरी	कार्य भुगतान एक वर्ष 6 माह बाद करने के कारणों को साक्ष्यों के प्रस्तुत करें।	46850.00
12	30	अधिशाली अभियंता, सिंचाई खण्ड, देहरादून	4 वर्ष विलंब से भुगतान करने के कारणों से अवगत कराएं	99464.00
13	32	अधिशाली अभियंता, सिंचाई खण्ड, नरेन्द्रनगर	विलंब से भुगतान करने के कारण से अवगत कराये।	46356.00 56039.00
14	33	अधिशाली अभियंता, सिंचाई खण्ड, दुगडडा	GST Tin no. अंकित नहीं है।	43415.00
15	36	अधिशाली अभियंता, निर्माण खण्ड, पिथौरागढ़	वउचर के साथ जमा की गयी रॉयल्टी चालान संलग्न नहीं है	31518.00
16	37	अधिशाली अभियंता, सिंचाई खण्ड, लोहाघाट	Hand receipt पर न तो Revenue Stamp लगा है न ही सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर व दिनांक अंकित है	100000.00
17	42	अधिशाली अभियंता, सिंचाई खण्ड, पुरोला	कार्य की अवधि में वृद्धि हेतु इकाई द्वारा सक्षम अधिकारी से अनुमोदन लिया गया अथवा नहीं	395844.00
18	44	अधिशाली अभियंता, सिंचाई खण्ड, कालसी	कार्य समय सीमा पर पूर्ण नहीं किया गया है क्या विभाग द्वारा कार्य हेतु extension लैटर लिया गया	737229.00
19	49	अधिशाली अभियंता, निर्माण खण्ड, गैरसेण	Hand receipt पर न तो Revenue Stamp लगा है न ही हस्ताक्षर व दिनांक अंकित है	
20	51	अधिशाली अभियंता, निर्माण खण्ड, चम्बा	वउचर सं. 15 और 20 में 33514 और 63345 की रॉयल्टी में जमा की गयी है लेकिन वाउचर के साथ रॉयल्टी के चालान संलग्न नहीं है	33514.00 63345.00
21	52	अधिशाली अभियंता, निर्माण खण्ड, लक्सर	वाउचर सं. 72 एवं 64 की धनराशि रू0 10000/- एवं 9000/- लेबर सेस में जमा की गयी है लेकिन लेबर सेस जमा होने से संबंधित कोई साक्ष्य संलग्न नहीं है	19000.00
22	53	अधिशाली अभियंता, सिंचाई खण्ड, रुड़की	वउचर सं. 05, 06, 07, 08 के अनुसार व्यय रू. 66720/- किया गया किस लेखाशीर्ष के अंतर्गत व्यय रू. 65754 किया गया संबंधित पत्रावली की छायाप्रति प्रेषित करने के संबंध में	65754.00

23	55	अधिशाली अभियंता, निर्माण खण्ड, नई टिहरी	वाउचर उप की धनराशि में रु. 5507/- लेबर सेस में जमा की गयी है लेकिन लेबर सेस जमा होने से संबंधित कोई साक्ष्य संलग्न नहीं है तथा रु. 2849/- की धनराशि रॉयल्टी जमा किए जाने का चालान संलग्न नहीं किए जाने के कारण	5507.00 2849.00
----	----	--	--	--------------------